

समस्त कथकर्ता अधिकारीऔजार एवं उपकरणों के क्रय से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश
(निविदा वर्ष 2008-10 हेतु)

- 1 निदेशालय द्वारा निविदा वर्ष 2008-10 के लिये जारी की गई दर सविदा शर्तों के अधीन दिनांक 30.09.10 तक ही प्रभावशील रहेगी। सभी फर्मों से अनुबन्ध के बाद ही दर सविदा जारी की गई है/की जा रही है। अतः फर्मों के उनके बिलों का भुगतान एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार ही किया जाये।
- 2 औजार एवं उपकरण की सप्लाय डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से नहीं ली जावे। अनुमोदित फर्म को सीधे ही क्रय आदेश दिये जाये, सप्लाय भी सीधे ही प्राप्त की जाकर भुगतान संबंधित फर्म को सीधे ही किया जाये। इसकी कठोरता से पालना की जावे।
- 3 अधिकृत-क्रय कर्ता अधिकारी कोई भी क्रयदेश जारी करने से पूर्व अपने अधीनस्थ संस्थाओं से मांग पत्र (जिसे रिकार्ड पर रखा जावे) लेने के पश्चात 3 अधिकारियों की कमेटी गठित कर प्राप्त मांग, भण्डार की स्थिति (पोजिशन ऑफ स्टॉक) एवं उपलब्ध बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुये क्रय की जाने वाली सामग्री की वास्तविक मांग को सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात ही क्रय आदेश जारी करेंगे।
- 4 आवंटित बजट से अधिक की देनदारियों किसी भी स्थिति में उत्पन्न नहीं की जावे अन्यथा आवंटन से अधिक देनदारियों की वसूली संबंधित अधिकारी से की जावेगी एवं उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी। यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी आईटम की क्रय वास्तविक मांग से अधिक नहीं की जावे एवं किसी आवश्यक आईटम का अभाव भी नहीं रहे।
- 5 औजार एवं उपकरण एवं अन्य आईटमों को स्वीकार करते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे कि वे अनुमोदित/मेक तथा अनुमोदित स्पेसिफिकेशन/ मार्क आदि के अनुसार हो अन्यथा स्वीकार नहीं किया जावे।
- 6 ऐसे औजार एवं उपकरण जिनके स्पेसिफिकेशन बाबत आपको कोई शंका हो तो निदेशालय में उपस्थित हो कर निदेशालय (एसएसपीओ अनुभाग) में उपलब्ध सैमपल/केटलॉग से मिलान कर सकते हैं।
- 7 सभी प्राप्त औजार एवं उपकरण का इन्द्राज भण्डार पंजिका में मय बेच नं0 के करेंगे एवं तदुपरान्त ही भुगतान जारी करेंगे।
- 8 चूंकि राजकीय उपक्रमों से अमानत राशि एवं जमानत राशि जमा नहीं कराई जाती है। इसलिये राजकीय उपक्रमों के विरुद्ध जो भी रिकवरी बनती है, उपक्रमों के बकाया बिलों में से कटौती कर ली जाये।
- 9 क्रयदेश में स्पष्ट कर दिया जावे कि फर्म के बिल में इस आशय का प्रमाण-पत्र देवे कि बिल में अंकित दर से कम दर पर उक्त औजार एवं उपकरण किसी भी कार्यालय/संस्थान को नहीं बेचा गया है।
- 10 कार्यालय से ही निर्धारित प्रपत्र में क्रयदेश रजिस्टर्ड ए0डी0 के माध्यम से भेजे जावे। प्रत्येक क्रयदेश की एक प्रति उसी दिन निदेशालय (एसएसपीओ) को भेजी जावे। फर्म को क्रयदेश रजिस्टर्ड डाक से भेजे जावें, साधारण डाक अथवा यू0पी0सी0 से नहीं भेजा जावे। क्रयदेश की रजिस्ट्री डिस्पेच की तारीख को ही की जावे। क्रयदेश दिये जाने के पश्चात उसे रद्द नहीं किया जावे। यदि फर्म द्वारा क्रयदेश/निविदा शर्त संख्या-21 के अनुसार सप्लाय नहीं दी जाती है तो निविदा की शर्त संख्या 23 के अनुसार कार्यवाही करें।

- 12 किसी भी फर्म का क्रयादेश यथासंभव रू0 2000/- (दो हजार रूपये मात्र) से कम राशि का नहीं दिया जावे।
- 13 शर्तों के अनुसार सम्भावित हानि की कटौती फर्म के बिलों में से काटकर ही भुगतान किया जावे।
- 14 इस अनुबंध के तहत वसूली की जाने वाली राशि की सूचना (प्रत्येक फर्म की अलग-अलग) संतोषजनक प्रतिवेदन (परफोरमेंस स्टेटमेंट) के साथ दिनांक 31.10.2010 तक आवश्यक रूप से मुख्यलेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन, मुख्यालय को भेजी जावे।
- 15 विवाद रहित माल का भुगतान फर्म को माल प्राप्ति के 30 दिवस में आवश्यक रूप से कर दिया जावे। टूट-फूट व अन्य कमी की सूचना फर्म को तत्काल माल प्राप्ति के एक सप्ताह में आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जावे खराब माल को फर्म द्वारा एक सप्ताह में लौटा दिया जावे अन्यथा क्रय अधिकारी की निजी तौर पर जिम्मेदारी होगी।
- 16 निविदा शर्तें आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं, इसकी एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।
- 17 यह भली-भांति नोट कर लें कि निदेशालय द्वारा जारी दर संविदा दिनांक 30.09.10 तक ही प्रभावशील है एवं यदि इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाता है और किसी क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा क्रयादेश इस तिथि के पश्चात दिये जाते हैं तो उसे आदेशों की स्पष्ट अवहेलना समझते हुये उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
- 18 औजार एवं उपकरण की मांग का विवरण रजिस्टर निम्न प्रोफार्मा में रखा जायेगा एवं इसे निरीक्षण हेतु हर समय तैयार रखेंगे :-

क्र. सं.	केटलॉग नं. मय सेक्शन	नाम	मात्रा जो भण्डार में उपलब्ध है।	मांग जो प्राप्त हुई	क्र. दि.	आदेशित मांग की संख्या	विवरण
----------	----------------------	-----	---------------------------------	---------------------	----------	-----------------------	-------

- 19 आपके कार्यालय से संबंधित महालेखाकार/विभागीय निरीक्षण दलों द्वारा फर्मों के विरुद्ध निकाली गई वसूली की राशि की कटौती फर्मों को भुगतान किये जाने वाले बिलों में से आवश्यक रूप से कर ली जावे। साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि यदि आपूर्ति में निविदा शर्तों के अनुसार विलम्ब हुआ है और इसके लिये यदि फर्म दोषी है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) की वसूली भी तत्समय ही कर ली जावे। वसूली न करने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

संलग्न:-निविदा शर्तें

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एसपीओ/ईएण्डआई/08-10/09/

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (आरसीएच), मुख्यालय।
3. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय अतिरिक्त 15 प्रतियों के साथ।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चि0 एवं स्वा0 सेवायें जोन।

मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव
भण्डार क्रयण संगठन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर